

प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,  
परती भूमि विकास विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा, झांसी, फैजाबाद,  
गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर, सिद्धार्थनगर,  
सुल्तानपुर, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती,  
बुलन्दशहर, देवरिया, ऐटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरदोई,  
हाथरस, अमरोहा(जेपी नगर), कानपुरनगर, कौशाम्बी, मेरठ, मुजफ्फरनगर,  
रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शाहजहाँपुर तथा उन्नाव।

पत्र सं०- 1654/85-परती-2016/2015-16 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2016  
विषय- समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत  
वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं के वाटरशेड वर्क फेज  
की अवशेष धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र  
संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्ल्यूएमपी (यूपी)कमांक-1/यूपी/2015-16  
/आईडब्ल्यूएमपी दिनांक 31 अगस्त, 2015 तथा पत्र संख्या- के-11013  
/19/2013/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी)कमांक-2/यूपी/2015-16 /आईडब्ल्यूएमपी  
दिनांक 31 अगस्त, 2015 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य के बजट खाते में जमा  
की गयी है जिसकी पुष्टि वित्त विभाग के केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा की गयी  
है। शासनादेश संख्या-74/आईडब्ल्यूएमपी/85-परती-2015-30(परती)/2014  
दिनांक 19 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश -86/आईडब्ल्यूएमपी/85 परती- 2015-30  
(परती)/ 2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश  
तथा उसके सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश को सम्मिलित करते हुये परियोजना मद के  
अन्तर्गत वाटरशेड वर्क फेज की 50 प्रतिशत धनराशि में से वर्ष 2014-15 तक कुल  
अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाकर शेष धनराशि संलग्न तालिका के कालम  
नं०-27 में अंकित अवशेष धनराशि समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के

